देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित

www.page3news.in

नगर संस्करण वर्ष 16 अंकः 168 पृष्ठ : 8 मूल्यः एक रूपए

विचार-प्रवाह...अब तक के रेकॉर्ड को किया मजबूत

पेज थ्री

देहरादून, मंगलवार, 5 अक्टूबर 2021

मौसम अधिकतम 27.0° न्यूनतम 24.0°

40243.39 | 2 मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार का ऐलान | 7 सचिन तेंदुलकर का नाम आने से हड़कंप

लखीमपुर कांड पर हुआ समझौता

सुको ने कहा- जब हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी में कल से शुरू हुआ बवाल अब थमता नजर आ रहा है। प्रशासन के सामने एक ओर चुनौती बवाल पर काबू पाने की थी वहीं दूसरी ओर नेताओं के दौरे को लेकर भी प्रशासन सजग था। किसानों की मांगों को मान लिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की मौजूदगी में मीडिया को यह जानकारी दी गई। हालांकि इस पूरे बवाल पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी सख्त टिप्पणी की गई कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारी तो दावा करते है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है लेकिन जब हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले पर किसान संगठनों की ओर राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा गया।

नेताओं को संभालना प्रशासन के लिए चुनौती

लखीमपुर बवाल के बाद कांग्रेस महसचिव प्रियंका गांधी, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव,आप के संजय सिंह, शिवपाल यादव, राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी की ओर से लखीमपुर जाने की कोशिश हुई। पुलिस की ओर से उन्हें रोका गया इस दौरान कुछ जगहों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इस पूरे मामले की ओर से विपक्ष पर सरकार की ओर से कई आरोप भी लगाए गए।

लखीमपुर खीरी में मचे बवाल पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का जिक्र करते हुए सोमवार कहा कि ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि प्रदर्शनकारी तो दावा करते है कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है लेकिन जब हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता। वहीं केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए किसानों के विरोध प्रदर्शन पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्रः संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सोमवार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर, उनसे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। इस पत्र में कहा है कि केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए।

इस ऐलान के बाद बनी बात

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बवाल के बीच प्रशासन और किसानों के बीच समझौता हुआ। 8 दिनों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा, किसानों के परिजन को 45 लाख का मुआवजा देने के साथ ही न्यायिक जांच को लेकर सहमति बनी। किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) ने संयुक्त रूप से मीडिया को यह जानकारी दी। किसान यूनियन की तरफ से 50-50 लाख रुपये की मांग रखी गई थी। इसके साथ ही मृतकों के आश्रितों को नौकरी का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं घायलों के परिजन को 10-10 लाख का मुआवजा मिलेगा। प्रशासन ने घटना की न्यायिक जांच का भरोसा भी दिया है। साथ ही इस मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाएगी।

हमने कृषि कानून पर रोक लगा दी, फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों?

किसान महापंचायत की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अदालत द्वारा तीन कृषि कानूनों पर रोक लगाने के बाद भी सड़कों पर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। किसान महापंचायत के वकील ने कहा कि उन्होंने किसी सड़क को अवरुद्ध नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि कोई एक पक्ष अदालत पहुंच गया को प्रदर्शन का क्या मतलब है? पीठ ने कहा कि कानून पर रोक लगी है सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो इसे लागू नहीं करेंगे फिर प्रदर्शन किस बात का है? किसान महापंचायत की याचिका में जंतर मंतर पर सत्याग्रह की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि आपने कानून की वैधता को चुनौती दी है। हम पहले वैधता पर फैसला करेंगे, प्रदर्शन का सवाल ही कहां है?

संक्षिप्त समाचार

शाहरुख खान के बेटे को नहीं मिली राहत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के छापे में पकड़े गये शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को सोमवार भी कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। एस्प्लांडे कोर्ट ने आर्यन, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट की एनसीबी कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) ने रविवार को ड्रग्स मामले में आर्यन समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया था।

सीबीडीटी करेगी पेंडोरा पेपर्स से संबंधित मामलों की जांच

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि पेंडोरा पेपर्स से संबंधित मामलों की जांच की जाएगी। सरकार ने सोमवार को निर्देश दिया है कि पेंडोरा पेपर लीक के मामलों की जांच की निगरानी सीबीडीटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाएगी, जिसमें सीबीडीटी, प्रवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई के प्रतिनिधि होंगे।

उत्तराखंड में 19 अक्टूबर तक बढ़ाई गई कोरोना पाबंदिया

एसओपी में इस बार भी कोई नई राहत नहीं

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू और बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में कर्फ्यू की बंदिशें 19 अक्तूबर तक लागू रहेंगी। एसओपी में चारधाम यात्रा और प्राइमरी तक के स्कूलों को खोलने को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि उनकी अलग-अलग एसओपी का पालन सभी जिलों को सुनिश्चित करना होगा।

ये बंदिशें बरकरारः एसओपी के तहत वेडिंग हॉल की क्षमता के आधे लोग शादी समारोह में शामिल हो पाएंगे, लेकिन इसके लिए भी जिला प्रशासन से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। साथ ही कोरोना की जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। बाजार सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे। नगरीय क्षेत्रों में स्थित होटल रेस्तरां, भोजनालय व ढाबे रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रहेंगे। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में प्रवेश मिलेगा। बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों को स्मार्ट सिटी के http://smartcitydehradun-uk-gov-in पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। शवयात्रा में भी 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृति और बड़ी सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी।

दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान की निगरानी में आवश्यकतानुसार सात दिन क्वारंटीन सेंटर में एकांतवास में रहना अनिवार्य होगा। प्रदेश में सभी स्पा और सैलून खोलने की अनुमति है। इसके साथ ही जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल व स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व इनसे संबंधित सभी गतिविधियां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।

वहीं, सरकार ने होटलों में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा व जिम को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है।

नई एसओपी जारी

मुख्य सचिव एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कोविड कर्फ्यू के संबंध में सोमवार को नई एसओपी जारी कर दी। एसओपी में इस बार भी कोई नई राहत नहीं दी गई है।

उत्तराखंड में तीन माह के लिए रासुका लागू

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है। विभिन्न जिलों में हुई हिंसा की घटनाओं के बाद राज्य के अन्य हिस्सों में भी ऐसी घटनाएं होने की संभावना है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाया है। पूरे राज्य में दिसंबर माह तक के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) लागू कर दी है। इसके तहत सभी जिलाधिकारियों के अधिकार भी बढ़ा दिए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अनुमोदन के बाद सोमवार को अपर सचिव (गृह) रिधिम अग्रवाल ने यह आदेश किए हैं। सरकार का मानना है कि पिछले दिनों राज्य के कुछ जिलों में हिंसक घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी घटनाएं होने की आशंका है। कुछ समाज विरोधी तत्व राज्य की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ तत्व राज्य की सेवाओं को बनाए रखने में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में लोक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के हित के मद्देनजर तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में रासुका लगाई जाती है।

जानिए क्या है एनएसएः एनएसए या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(रासुका) वो कानून है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधा डालने वालों पर लगाम लगाता है। इस अधिनियम-1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को ज्यादा शक्ति देने का कानून है। किसी भी राज्य की सरकार को अगर लगता है कि कोई भी कानून व्यवस्था में किसी तरह की परेशानी बन रहा है तो उसे एनएसए के तहत गिरफ्तारी का आदेश दिया जा सकता है। आवश्यक सेवा की आपूर्ति में बाधा बनने पर भी एनएसए के तहत गिरफ्तार करवाया जा सकता है।

अधिकार

■जिलाधिकारी 31 दिसंबर तक कर सकते हैं शक्तियों का इस्तेमाल

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you
What we do
Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.
Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS
Search Engine Optimisation
A-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.
Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

सैन्य आधुनिकीकरण पर है फोकस

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज वैश्विक सुरक्षा चिंताओं, सीमा विवादों और समुद्री मामलों के महत्व पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि न केवल नई बल्कि स्वदेशी प्रौद्योगिकियां भी समय की मांग हैं। हम उन्नत और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की दिशा में काम कर रहे हैं क्योंकि इन प्रौद्योगिकी वाले देश दुनिया में अपना प्रभुत्व बनाता है। इससे हमारे समग्र विकास में भी मदद मिलेगी। दिल्ली में सोमवार को डेयर टू ड्रीम पुरस्कार विजेताओं और डीआरडीओ के युवा वैज्ञानिकों के अभिनंदन कार्यक्रम के संबोधन में रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश अपने सैन्य आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यही वजह है कि सैन्य उपकरणों की मांग बढ़ रही है।

हमारे समग्र विकास में भी मदद मिलेगीः रक्षामंत्री

इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि आज ट्रेड, इकानोमी, संचार, यानी हर क्षेत्र में बदलाव देखा जा रहा है। इनसे दुनिया का कोई कोना अछूता रह जाए, मैं समझता हूं वह संभव नहीं है। दुनिया भर में हो रहे यह बदलाव राष्ट्रों की सुरक्षा को भी उतनी ही बढ़ा रहे हैं।